



पत्रांक : CCE/ISDC/FDP/Gyan Ganga/2020-21/333;

दिनांक: 16 फरवरी 2021

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय (निम्न सूचीनुसार),
राजस्थान।

ज्ञान गंगा कार्यक्रम

विषय: राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों में विषय दक्षता संवर्द्धन हेतु आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान एवं राजकीय महाविद्यालय टोंक के संयुक्त तत्वावधान में ज्ञान गंगा कार्यक्रम के अन्तर्गत उर्दू साहित्य विषय पर दिनांक 22-27 फरवरी 2021 को राज्य स्तरीय ऑनलाईन प्रशिक्षण के आयोजन बाबत।

सन्दर्भ: आकाशि का पत्रांक CCE/ISDC/FDP/Gyan Ganga/2020/267; दिनांक 28 जनवरी 2021 के क्रम में।

उपर्युक्त सन्दर्भ लेख है कि राजकीय महाविद्यालय टोंक द्वारा आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर के साथ संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 22-27 फरवरी 2021 को "Initiatives for Teaching-Learning Excellence in Urdu Literature" विषय पर निर्देशानुसार 06 दिवसीय शॉर्ट टर्म ऑनलाईन प्रशिक्षण का आयोजन करवाया जा रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में संबंधित विषय में अद्यतन ज्ञान एवं शिक्षण पद्धति में नवाचारपरक बिन्दुओं पर फोकस किया जायेगा।

निम्नलिखित संकाय सदस्यों को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु नामित किया गया है। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि -

1. यह प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित किया जायेगा, जिसकी सभी तकनीकी व्यवस्थाएं राजकीय महाविद्यालय टोंक द्वारा करवाई जायेंगी।
2. प्रशिक्षण का प्रतिदिन न्यूनतम समय 2 घण्टा 30 मिनिट्स का रहेगा, जो कि दोपहर 1.00 बजे से आरम्भ होकर अपराह्न पश्चात 3.30 बजे तक रहेगा। अतः इस प्रयोजनार्थ किसी भी प्रतिभागी को अकादमिक/ कर्त्तव्य अवकाश नहीं दिया जायेगा। नामित संकाय सदस्यों को इस प्रशिक्षण को महाविद्यालय में उपस्थित रहकर ही करना है।
3. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्तिम आयोजन दिनांक 6 मार्च 2021 को आयोजित किया जायेगा। इस दिनांक तक ज्ञान गंगा के सभी प्रशिक्षण कार्य पूर्ण किये जाने हैं, अतः संबंधित प्राचार्य नामित संकाय सदस्य/सदस्यों को प्रशिक्षण अवधि में महाविद्यालयी कार्य से मुक्त रखें।
4. इस सूची में नामित संकाय सदस्य के महाविद्यालय के नाम के साथ अंकित उनके मूल पदस्थापन महाविद्यालय अथवा उनके कार्य व्यवस्थार्थ पदस्थापन महाविद्यालय के नाम में कोई अन्तर हो तो उन्हें इस आदेश के जरिये निर्देशित किया जाता है कि वे बिना किसी पूरक प्रश्न के अपने मूल पदस्थापन महाविद्यालय के आधार पर पंजीकृत करते हुए इस प्रशिक्षण में सहभागी बनें।
5. सभी नामित प्रशिक्षणार्थियों को आयोजक राजकीय महाविद्यालय द्वारा तैयार की गई लिंक पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। इसके लिये नामित संकाय सदस्य नीचे दिये गये मोबाइल नम्बर्स पर स्वयं सम्पर्क करके रजिस्ट्रेशन की जानकारी प्राप्त करेंगे एवं अपडेटेड रहेंगे। रजिस्ट्रेशन दायित्व नामित संकाय सदस्य का है और इसे समय रहते पूरा करें।
6. यह कार्यक्रम शिक्षा में गुणवत्ता संवर्द्धन के लिये एक प्रयास है, जिसमें सभी संकाय सदस्यों की सहभागिता अनिवार्य है। अतः नामित सभी संकाय सदस्यों को इस प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य है, भले ही किसी संकाय सदस्य को दुबारा नामित किया गया हो। सभी नामितों को निर्देशित कार्यक्रम में सहभागिता सुनिश्चित करनी है। अतः इस संबंध में किसी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी अथवा स्पष्टीकरण हेतु आयुक्तालय में सम्पर्क नहीं करें। इस संबंध में पूर्व में जारी अन्तराल संबंधी निर्देश (आदेश क्रमांक 233; दिनांक 22 जनवरी 2021) को तत्काल

ॐ

प्रभाव से विलोपित किया जाता है। सभी नामितों को इस कार्यक्रम में रजिस्ट्रेशन करना उनका स्वयं का उत्तरदायित्व है। नामित व्यक्ति द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित नहीं होने की दशा में वे स्वयं उत्तरदायी रहेंगे।

7. सभी नामित सहभागी आयोजक राजकीय महाविद्यालय में इस प्रयोजनार्थ निम्न अधिकारियों से सम्पर्क करें, और अपने पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करें ताकि आयोजक महाविद्यालय द्वारा आगामी निर्देश प्रेषित किये जा सकें। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु आयोजक महाविद्यालय द्वारा समूह में जुड़ने एवं रजिस्ट्रेशन करने संबंधी दिये जाने वाले निर्देशों का नामित सभी संकाय सदस्य पालन करेंगे।

- डा. सैयद सादिक अली 94133 81080
- डा. राशिद मिया 72403 02056
- डा. कजोड लाल बैरवा 95870 78757

8. इस प्रशिक्षण हेतु नामित संकाय सदस्यों की सूची :-

S. No.	Name of faculty	Name of College
1.	मोईउद्दीन	राजकीय महाविद्यालय अजमेर
2.	फिरोज खान	राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा
3.	मुसव्विर अहमद	राजकीय महाविद्यालय बांरा
4.	छोटू लाल मीणा	राजकीय महाविद्यालय बांरा
5.	पुरुषोत्तम दास परिहार	राजकीय महाविद्यालय बाडमेर
6.	अभिषेक कुमार	राजकीय महाविद्यालय भवानीमण्डी
7.	मोहम्मद हुसैन	राजकीय महाविद्यालय बीकानेर
8.	असमा मसूद	राजकीय महाविद्यालय बीकानेर
9.	मोहम्मद शाकिर	राजकीय महाविद्यालय बून्दी
10.	जावेद खान	राजकीय महाविद्यालय चुरु
11.	ई. ए. हैड्री	राजकीय महाविद्यालय चुरु
12.	अनिता मीणा	राजकीय महाविद्यालय झालावाड
13.	फखरुन्निसा बानों	राजकीय कला महाविद्यालय कोटा
14.	मोहम्मद इब्राहिम	राजकीय कला महाविद्यालय कोटा
15.	अलीरजा	राजकीय कला महाविद्यालय कोटा
16.	नुसरत फातिमा	राजकीय कला महाविद्यालय कोटा
17.	मोअज्जम अली	राजकीय महाविद्यालय पाली
18.	मोहम्मद शाहीद जैदी	राजकीय महाविद्यालय सवाईमाधोपुर
19.	सियाराम मीणा	राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाईमाधोपुर
20.	सुनिता चावला	राजकीय महाविद्यालय सांगोद
21.	अफसाना	राजकीय महाविद्यालय तिजारा
22.	रासिद मिया	राजकीय महाविद्यालय टोंक
23.	कृष्णगोपाल मीणा	राजकीय महाविद्यालय टोंक
24.	मोहम्मद बाकिर हुसैन	राजकीय महाविद्यालय टोंक
25.	कजोड लाल बैरवा	राजकीय महाविद्यालय टोंक
26.	शीबा ताहिर	राजकीय कन्या महाविद्यालय उदयपुर

9. सभी नामित प्रशिक्षणार्थियों को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में निर्देशित/निर्धारित पूरे समय तक ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित करनी है।

10. इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाणपत्र जारी किया जायेगा।



11. जिन नामित संकाय सदस्यों के नाम में किसी प्रकार की त्रुटि रह जाती है, परन्तु महाविद्यालय का नाम एवं उनका विषय सही है, तो वे अपना पंजीकरण करते समय अपना नाम (सरकारी रिकार्ड के अनुरूप) स्वयं सही कर लें। इसके लिये अनावश्यक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।
12. जिन संकाय सदस्यों को इन प्रशिक्षण में नामित किया गया है और वे पहले से ही किसी इंडक्शन/ओरिएण्टेशन/रिफ्रेशर/ट्रेनिंग प्रोग्राम में आयुक्तालय की ओर से नामित किया गया है अथवा अनुमति प्राप्त हो गई है। यदि ऐसे नामित संकाय सदस्यों का उपर्युक्त प्रशिक्षण प्राप्त हो चुका है, तो उन्हें इन प्रशिक्षणों के तब तक के चरणों से मुक्त किया जाता है, जब तक कि उनके उपर्युक्त प्रोग्राम की अवधि है। परन्तु यदि उनको अनुमति प्राप्त नहीं हुई है अथवा उनका प्रशिक्षण आरम्भ नहीं हुआ है तो उन्हें इन ज्ञान गंगा कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति देनी होगी। यदि ज्ञान गंगा कार्यक्रम में ज्वाइन करने के उपरान्त उन्हें इंडक्शन/ओरिएण्टेशन/रिफ्रेशर/ट्रेनिंग प्रोग्राम में आयुक्तालय की ओर अनुमति अथवा आदेश प्राप्त हो जाता है तो उन्हें ज्ञान गंगा कार्यक्रम को बीच में छोड़कर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है, परन्तु तब तक उन्हें ज्ञान गंगा कार्यक्रम में ज्वाइन करना अनिवार्य है। इस संबंध में पूर्व में ही पत्रांक 233; दिनांक 22 जनवरी 2021 के जरिये आदेश जारी किये जा चुके हैं।
13. उक्त के अतिरिक्त अन्य किसी आकस्मिक परिस्थिति को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के आधार पर इन कार्यक्रमों में सहभागिता से मुक्ति के लिये प्रयास नहीं करें।
14. सभी प्रशिक्षणार्थियों को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रतिदिन ऑनलाइन फीडबैक देना अनिवार्य है। यह फीडबैक आयोजकों द्वारा यथा निर्देशित प्रशिक्षणार्थियों द्वारा उसी दिन ऑनलाइन जमा कराना होगा।
15. इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के पूर्ण होने पर सभी प्रशिक्षणार्थी एक सादे कागज पर अपना फीडबैक लिखकर संबंधित प्राचार्य को जमा करवायेंगे, जिसे कि प्राचार्य द्वारा आयुक्तालय को नवाचार प्रकोष्ठ की मेल **gyanganga.cceraj@gmail.com** पर दिनांक 02 मार्च 2021 तक भिजवाया जाना अनिवार्य है।

इस संबंध में किसी भी प्रकार की सहायता अथवा मार्गदर्शन हेतु नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ के निम्न अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं –

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|-------------|
| 1. डॉ. विनोद कुमार भारद्वाज | : प्रभारी अधिकारी नवा. एवं कौशल विकास | 94143 04650 |
| 2. डॉ. शिवांगना शर्मा | : सह आचार्य, नवा. एवं कौशल विकास | 94615 19852 |
| 3. डॉ. ललिता यादव | : सह आचार्य, नवा. एवं कौशल विकास | 95299 93619 |
| 4. डा. विश्राम मीणा | : सहा. आचार्य, नवा. एवं कौशल विकास | 99503 73686 |



संदेश नायक, IAS
आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान

पत्रांक: CCE/ISDC/FDP/Gyan Ganga/2020-21/334; दिनांक: 16 फरवरी 2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान।
2. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, आकाशि, जयपुर।
5. प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय टोंक।
6. समस्त, क्षेत्रीय सहायक निदेशक, सम्भाग कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
7. संबंधित नामित संकाय सदस्य, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
8. वैबसाइट प्रभारी को अपलोड/ई-मेल करने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।



डा. विनोद कुमार भारद्वाज
प्रभारी अधिकारी,
नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ